

13
GP17
10-04-14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No. _____ of 2014

Lal Babu Rai

----Petitioner

Versus

The State of Bihar and others

--- Respondents.

Subject:- *Prise of salary*

INDEX

| | | |
|---|---|---------|
| 1 | Synopsis of the case | A to C |
| 2 | Petition with Affidavit | 1 to 12 |
| 3 | Annexure-1. True copy of memo no.3814 dt. 13.7.2010 | 13-14 |
| 4 | Annexure-2. True copy of memo no.39-1 dt. 12.7.2011 | 15-17 |
| 5 | Annexure-3 series. True copy of representations | 18-20 |
| 6 | Annexure-4. True copy of letter no.153/2/Estb. dt. 4.3.2013 | 21 |
| 7 | Vakalatnama | |

---VNR---

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No. _____ of 2014

Lal Babu Rai

----Petitioner

Versus

The State of Bihar and others

--- Respondents.

Synopsis

Relief sought for:

For directing the respondents to give benefit of pay scale of Rs.4000-6000/- to the petitioner which has been notified by the District Magistrate, Madhepura vide memo no.3911 dated 12.7.2011 which has been paid to other similarly situated persons who has not been paid to the petitioner till date.

Dates & Events of the case:-

20.12.2000 Government has taken the decision that the persons who were appointed prior to 20.12.2000 will get the benefit of pay scale of Rs.4000-6000/- and the persons who joined after 20.12.2000 they will be given the pay scale of Rs.3050-4590/-

- 2004** The aforesaid order of the State Government was challenged by some of the Class III employees who were appointed after the cut off date i.e. 20.12.2000 in this Hon'ble Court giving rise to C.W.J.C.No.15417/04 as well as C.W.J.C.No.9791/04.
- 12.1.04** Petitioner submitted his joining in pursuance of the said order in the Collectorate of Madhepura on 12.1.2004.
- 20.7.06** Hon'ble High Court vide order dated 20.7.2006 allowed the writ application and directed the State Government that as all have been appointed through Bihar Public Service Commission special examination, they can not be differentiated on the pay scale and eve if they have joined after the cut off date i.e. 20.12.2000 they are entitled to get pay scale of Rs.4000-6000/-
- 6.11.09** Said order was challenged by the State Government in Hon'ble Supreme Court in

S.L.P.No.9650/09 and the Hon'ble Supreme Court dismissed the said S.L.P. on 6.11.2009.

13.7.10 Thereafter the State Government decided that the benefit of pay scale of Rs.4000-6000/- will be given to all those Lower Divisional Clerk who have been appointed after 20.12.2000

12.7.11 District Magistrate, Madhepura vide memo no.39-1 dated 12.7.2011 passed an order that all these persons who were earlier working with the PACS and subsequently by way of special examination conducted by Bihar Public Service Commission were appointed on Lower Divisional Clerk even after the cut off date i.e. 20.12.2000 are entitled to get the pay scale of Rs.4000-6000/-

4.3.2013 Deputy Collector, District Establishment Madhepura informed to the Chairman, District Consumer Redressal Forum, Madhepura asking him to give the amount of salary due as well as the difference.

Hence this writ.

GOVERNMENT OF BIHAR
REGISTRAR GENERAL
PATNA
COURT FEE
285
Authorization No. 2675



REGISTRY
00
Rs. 285
37545
BIHAR
Zero*Zero*Zero*Zero*Two*Eight*Five

5016 6127580

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C.No. of 2014

In the matter of an
application under Article 226
of the Constitution of India.

And

In the matter of

Lal Babu Rai son of late Triloki Rai, resident of village Birra,
P.O. Sarai, P.S. Hajipur Sadar, district Vaishali

-----Petitioner

Versus

1. The State of Bihar
2. Principal Secretary, Department of Personnel, *General Administration*
Government of Bihar, Patna
3. District Magistrate, Madhepura
4. Additional Collector Incharge (Estb), Madhepura
5. President, District Consumer Redressal Forum,
Madhepura

----- Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, The
Chief Justice of the High Court of Judicature at
Patna and her companion Justices of the said
Hon'ble Court.

The Humble petition on
behalf of the above named
petitioner.

Most Respectfully Sheweth: -

1. That this is an application for issuance of an appropriate writ, order, direction for directing the respondents to give benefit of pay scale of Rs.4000-6000/- to the petitioner which has been notified by the District Magistrate, Madhepura vide memo no.3911 dated 12.7.2011 which has been paid to other similarly situated persons who has not been paid to the petitioner till date.
2. That the substantial questions of law involved in the present writ petition are as follows:-

- I. Whether once the petitioner and other similarly situated who were earlier appointed on the post of PACS Manager and on the abolition of the said post through BPSC they were appointed in different district on the post of Assistant and other persons who were given the pay scale of Rs.4000-6000/- the respondents are justified in not giving the pay scale to the petitioner even though in the notification issued by the District Magistrate the name of petitioner finds place?
- II. Whether once the petitioner superannuated on 31.8.2009 and thereafter the Government decided that all these persons who were appointed through special examination conducted by Bihar Public Service Commission i.e.

after 20.12.2000 will be given the pay scale of Rs.4000-6000/- from the date of their initial joining, the respondents are justified in not giving the said benefit to the petitioner?

III. Whether once the petitioner filed representation to the authority concerned to give him the benefit of the pay scale of Rs.4000-6000/-, the respondents are justified in not disposing of the said representation and not giving the said benefit to the petitioners till date.

IV. Whether the action of the respondents is illegal, arbitrary, malafide and is fit to be set aside.

3. That the petitioner is citizen of India.
4. That the petitioner was initially appointed as PACS Manager in the district of Vaishali but subsequently the said post was abolished and finally by virtue of the order

passed by the Hon'ble court which was upheld upto the Hon'ble Supreme Court the government decided that all the persons who were working on the post of PACS Manager will be appointed on Class III post through Bihar Public Service Commission after taking their examination and accordingly the Bihar Public Service Commission issued advertisement for holding special examination and petitioner and large number of other persons appeared and they were declared successful and thereafter the name of petitioner and others were sent for being appointed on class III post and the name of the petitioner was finally sent to Madhepura district and thereafter the District Magistrate, Madhepura appointed the petitioner on class III post and was posted in Madhepura Collectorate itself and petitioner submitted his joining in pursuance of the said order in the Collectorate of Madhepura on 12.1.2004.

5. That thereafter petitioner was posted on different class III post on various places and finally he was posted in the office of District Consumer Redressal Forum, Madhepura.

6. That the respondents started giving pay scale to the petitioner of Rs.3050-4590/- and they continued to give the said pay scale to the petitioner till date of retirement.
7. That initially the Government has taken the decision that the persons who were appointed prior to 20.12.2000 will get the benefit of pay scale of Rs.4000-6000/- and the persons who joined after 20.12.2000 they will be given the pay scale of Rs.3050-4590/- but the aforesaid order of the State Government was challenged by some of the Class III employees who were appointed after the cut off date i.e. 20.12.2000 in this Hon'ble Court giving rise to C.W.J.C.No.15417/04 as well as C.W.J.C.No.9791/04.
8. That the Hon'ble High Court vide order dated 20.7.2006 allowed the writ application and directed the State Government that as all have been appointed through Bihar Public Service Commission special examination, they can not be differentiated on the pay scale and even if they have joined after the cut off date i.e. 20.12.2000 they are entitled to get pay scale of Rs.4000-6000/- and the said order was

challenged by the State Government in Hon'ble Supreme Court in S.L.P.No.9650/09 and the Hon'ble Supreme Court dismissed the said S.L.P. on 6.11.2009. Thereafter the State Government decided that the benefit of pay scale of Rs.4000-6000/- will be given to all those Lower Divisional Clerk who have been appointed after 20.12.2000 and the said notification was issued under the signature of Principal Secretary, Department of Cooperative, Government of Bihar as contained in memo no.3814 dated 13.7.2010.

True copy of memo no.3814 dated 13.7.2010 is annexed herewith and marked as Annexure-1 to this petition.

9. That thereafter the District Magistrate of each District sought concurrence from the Finance Department as well as from the law Department and after getting their concurrence, the District Magistrate, Madhepura vide memo no.39-1 dated 12.7.2011 passed an order that all

these persons who were earlier working with the PACS and subsequently by way of special examination conducted by Bihar Public Service Commission were appointed on Lower Divisional Clerk even after the cut off date i.e. 20.12.2000 are entitled to get the pay scale of Rs.4000-6000 and alongwith the said order the names of the aforesaid employees in which the name of petitioner is at column no.9 i.e. serial no.12.

True copy of memo no.39-1 dated 12.7.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this petition.

10. That the persons whose names have been figured in Anenxure-2 their letter number as well as date of joining as well as date by which they were asked to join were also mentioned and they all of cut of the date i.e. 20.12.2000 they were appointed in the year 2002-2003 and 2004 and they have been given the pay scale of Rs.4000-6000/- but it

is strange that the said benefit was not given to the petitioner.

11. That as per superannuation in the year 2009 and accordingly the said benefit of the pay scale of Rs.4000-6000/- was not given to the petitioner although all persons who joined on Lower Divisional Clerk on the basis of the said special examination conducted by the Bihar Public Service Commission the government has decided that they all will get the pay scale of Rs.4000-6000/- and while similarly situated persons even posted in district of Madhepura such as Ramanand Mehta, Mahendra Ram, Mahendra Pandit, Brahmdeo Sharma, Mahendra Prasad Mehta, Jawahar Prasad Yadav, Nand Kishore Yadav whose names are mentioned in serial no.1,3,5,4,7, 8,9 have been allotted the said benefit of the pay scale of Rs.4000-6000/- including the persons whose joining letter was sent alongwith the petitioner with the same memo i.e. memo no.04/02 dated 3.1.2004 but it is strange that the said benefit has not been given to the petitioner till date.

12. That the petitioner filed several representations to the District Magistrate, Madhepura to give him the benefit of pay scale of Rs.4000-6000/- but till date they have not communicated any decisions taken on the said representation filed by the petitioner.

True copy of representations are annexed herewith and marked as Annexure-3 series to this petition.

13. That the Deputy Collector, District Establishment Madhepura vide letter no.153/2Estb dated 4.3.2013 has also informed to the Chairman, District Consumer Redressal Forum, Madhepura asking him to give the amount of salary due as well as the difference which he is entitled in the retirement benefit immediately but inspite of that till date the petitioner has not been paid.

True copy of letter no.153/2/Estb. dated 4.3.2013 is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this petition.

14. That the action of the respondents is malafide, arbitrary and without jurisdiction.
15. That the petitioner has got no other alternative or efficacious remedy but to move this Hon'ble Court under writ jurisdiction.
16. That the petitioner has not moved this Hon'ble Court earlier for the relief as prayed for in this application.

It is therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application, issue rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why the relief sought for in paragraph no.1 of this petition be not allowed and upon return of the rule and after hearing the parties make the rule absolute or be pleased to pass such other order or orders, as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

And for this the petitioner shall ever pray.

Affidavit

I, Lal Babu Rai, aged about 65 years, son of late Triloki Rai, resident of village Birra, P.O. Sarai, P.S. Hajipur Sadar, district Vaishali, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read and understood by me and the statements made in paragraph nos. _____ are true to my knowledge and those made in paragraph nos. _____ are true to information derived from record and rests by way of submission.
3. That the annexures are true/photo copies of their originals.

बिहार सरकार
राज्यनिरिक्षा विभाग

आदेश

2 दि./स्था. दि. (09) - 05/99

13

प्राथमिक कृषि राज्य समितियों (पैवरा) के सहकारिता प्रबंधक/वेतनभोगी प्रबंधकों द्वारा
राज्यगरी सेवा में संगठनोपजन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका गणा,
सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 2312/91 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक
01.12.94 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका
सिविल अपील नं. 7387/94 का पत्र क्रमांक 1005 दिनांक 20.08.99
को पारित आदेश को आलोक में सहकारिता विभाग के सहायक सचिव संख्या 805 दिनांक 08.03.2000
द्वारा सहकारिता प्रबंधकों के लिए विहार लोक सेवा आयोग द्वारा विशेष परीक्षा आयोजित करके
हुए सफल उम्मीदवारों को राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पद पर नियुक्त
करने का निर्णय लिया गया।

2. उपर्युक्त के आलोक में विहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीन चरणों में विशेष परीक्षा
आयोजित की गई एवं विशेष परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति राज्य सरकार के विभिन्न
कार्यालयों में लिपिक के पद पर की गई।

3. वित्त विभाग के पत्र संख्या 8825 भा. (2) दिनांक 20.12.2000 द्वारा समाहरणालय एवं
अन्य मुफ्तिसाल कार्यालयों के लिपिक समूहों के पदों कोटे पद गणा, लिपिक (वेतनमान
4000-6000 रु.) को उक्त पत्र के निर्गत लिपिकों के प्रभाव से निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान
3050-4590 रु.) एवं उच्चवर्गीय लिपिक (वेतनमान 4000-6000 रु.) के पदों एवं वेतनमान में
पृथक् कर दिया गया। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त पृथक्करण के प्रभावी तिथि
अर्थात् दिनांक 20.12.2000 के पूर्व के प्रयुक्त एवं कार्यरत लिपिक उक्त प्रभावी तिथि से
उच्चवर्गीय लिपिक (वेतनमान 4000-6000 रु.) के पद पर कार्यरत होने लगे। तदनुसार
विभिन्न क्षेत्रों में सफल उम्मीदवार प्रवर्तमान की नियुक्ति पृथक्करण तिथि (20.12.2000) के
पश्चात् निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान 3050-4590 रु.) में की गई, जबकि उक्त तिथि तक पूर्व
सफल सहकारिता प्रबंधकों की नियुक्तियों लिपिक के पद पर वेतनमान 4000-6000 रु. में की
गई थी एवं ऐसे लिपिक पृथक्करण के पश्चात् उच्चवर्गीय लिपिक (वेतनमान 4000-6000 रु.)
में कार्यरत माने गए।

4. पृथक्करण की प्रभावी तिथि के पश्चात् निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त श्री
गणेश सिंह एवं अन्य द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध अपनी नियुक्ति के वेतनमान 3050-4590
रु. या 4000-6000 रु. में उक्त पत्र किए जाने हेतु रिट याचिका सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या
15417/04 दायर किया गया। इसी प्रकार राम नथ सिंह, जो पटना समाहरणालय में नियुक्त
किए गए, द्वारा समरूप याचिका के लिए रिट याचिका सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 9791/04 दायर
की गई।

उक्त दोनों याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 28.07.05 को
आदेश पारित किया गया कि दिनांक 20.12.2000 के बाद भी नियुक्त वादीगणों को एक ही
नियुक्ति प्रक्रिया का अंग मानते हुए उन्हें भी नियुक्ति की तिथि से ही उच्चवर्गीय लिपिक
(वेतनमान 4000-6000 रु.) में नियुक्त एवं वेतनमान का लाभ दिया जाए। माननीय उच्च

17
83

6. उल्लेखनीय है कि इस जिले में नियुक्त सभी 33 उम्मीदवारों (पैक्स प्रबंधकों) की नियुक्ति दिनांक-20.12.2000 के आदेश निम्न वर्गीय लिपिक के वेतनमान 3050-4590 में की गई है।

7. आतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में सरकार के प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापक-3814, दिनांक-13.07.2010 के आलोक में कंडिका-3 में (उपर वर्णित) वर्णित सभी- निम्न वर्गीय लिपिक को उनके भुगतान की तिथि से उनके पूर्व के वेतनमान 3050-4590 में परिवर्तित करते हुए उच्च वर्गीय लिपिक के वेतनमान 4000-6000 में वेतन निर्धारण करने एवं भुगतान करने (बकाया सहित) की स्वीकृति इस आदेश के साथ दी जाती है कि अगर सरकार या माननीय न्यायालय का इस आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रतिकूल आदेश प्राप्त होता है तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जाएगी।

सभी संबंधित निकासी एवं क्लरक पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त शर्तों की घोषणा पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही वेतन के निर्धारण/भुगतान की कार्रवाई करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापक 3814/स्था/मधेपुरा, दिनांक 12/7/10।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित निकासी एवं क्लरक पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदादि-शुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित लिपिकों को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में -

श्रीमान जिलापदाधिकारी मधुपुरा
के अन्तर्गत दरबार में, उन्ही के पूर्व
(सेवा निवृत्त लिपिक का 4 वर्ष 5 महिने
से लेखित बकाया वेतन भुगतान इतना
अभ्यास है।

महोदय। पूर्व में दिये गये आवेदन एवं उस पर
लम्बकालीन जणपदार के मन्तव्य, एवं आज
तक 20 लाख 5 पांच हजार का भुगतान नहीं
किया जाया, इस महंगाई के समय, दफ्तरी
अभाव पीडा दायक स्थिति में ला दिया है।

आवेदन के लिये समिवालय तक का
दौरान सेवा निवृत्त सेवक को वर भी करना
पडा।

पुराने पत्रों समिवालय तक अंश
तथा लम्बकालीन आवेदन पत्रों की बकाया प्रति
अनुसंधान कर रहा है।

श्री इन सेवकों का अवगत कर, (बिना
अनुभव कर लकड़ों कि मुझे कितना रंग
होना पडा है, अपना ही क. द्वारा।

विश्वास भाजन
लाल बाबू शर्मा
सेवा निवृत्त सदस्य
जिला उपकोषा सहायक
फौरक मधुपुरा
19/12/13

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री महोदय,

बिहार सरकार पटना ।

विषय:- जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ज्येठपुरा से सेवा निवृत्त उषादेवी
श्री लालबाबू राय से संबंधित अंतरदेतन राशि के भुगतान हेतु आर्जेंटन
उपलब्ध कराने के संबंध में ।

=====

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मै श्री लाल बाबू राय ग्राम विररा पो 0

तराव, थाना-हाजीपुर सदर, जिला-बैशाली हाजीपुर जिला उपभोक्ता संरक्षण

फोरम ज्येठपुरा से दिनांक 31-08-2009 को सेवा निवृत्त हो चुका हूँ सेवा

निवृत्त हुए 3 वर्ष 5 महीने हो गये पर आर्जेंटन के अभाव में मुझे अब तक

अंतरदेतन राशि का भुगतान नहीं किया गया। अथवा जिला उपभोक्ता

संरक्षण फोरम ज्येठपुरा द्वारा आर्जेंटन की राशि तिथि पर फॉर्म 30 दिनांक

14-04-2012 एवं फॉर्म 58 दिनांक 16-10-12 को सेवा गया परन्तु मेरा

संबंधित अंतरदेतन राशि के भुगतान के लिए आर्जेंटन राशि को 20,5,000=00

रुपये राय पाय का रक्षक या आर्जेंटन भुगतान करने के लिए आदेश

साथ नहीं सेवा गया जिसके कारण मुझे भुगतान नहीं किया गया ।

ज्ञातब्य हो कि इस्ते पूर्व दिनांक 21/12/2012 को

सर्विस, उच्च एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अन्तरदेतन

राशि के भुगतान हेतु निवेदन पर चला है ।

अतः श्रीमान् के द्वारा निवेदन है कि मेरा संबंधित

भुगतान राशि के भुगतान के लिए आदेश को 20,50,00=00 को राय पाय का रक्षक

भुगतान के लिए आदेश भेजकर मुझे भुगतान के लिए भुगतानादेश करने की कृपया

8/2
4.2.13
मंत्री सचिवालय
बिहार

-2-

जाय । इसके लिए मैं आगे आपका कृतज्ञ रहूँगा ।

आपका विद्यार्थी

लाल बाबू राय

इलाहाबाद राय

सेवानिवृत्त उ०व० लि०

जिला उपभोक्ता फोरम

मधेपुरा

दिनांक- 04-02-2013

पत्र - लाल बाबू बशक,
लेना गिरत (सहस्र),
जिला उपोद्देका, फोरम, मधुपुरा।

(20)

सेना में श्री मान अर्थात्, जिला उपोद्देका फोरम
मधुपुरा।

विषय:- प्रभार के हानाह्रास के संबंध में निश्चित निधि-
निर्धारित कर आदात - प्रत्येक पूर्ण कार्य हेतु अपेक्षा
प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- मेरी लेना 31-08-2009 को हानाह्रास ले जाई है।

महोदय।

श्री मान के फोरम ले में वर्ष 2009 के अगस्त माह में
ही लेना गिरत ले चुका है।

कि लेना गिरत के बाद ही ए० जिला (स्थापना) श्री
फोरम ले अपने प्रभार को समर्पित कर अपना पेंशनगा-
रि, ग्रेच्युटी आदि से निधि ले जाकर प्रभार ले है।

यहाँ गठ भी स्पष्ट कर है कि मैं बंसाती जिने
के पेंशन क्षेत्र का गिरती है। जो पेंशन के करीब ही

Received
Sanyal
13/04/10

श्री मान एक बार - घर ले मधुपुरा आने-आने पर
काफी पेंशन खर्च हो जाता है, और मैं इस आर्थिक
बोध को उठाने में अपने को असमर्थ पा रहा है।

अतः श्री मान को गठ प्रार्थना पत्र
दे कर आशा करता हूँ कि समर्पित प्रदायक पत्र
सहायक तंत्र कुमार को एक निश्चित आदेश कर
मुझे भांडा मुक्त कर देने की कृपा करी जाय।

साथ मेरा श्री मान से विनाश निवेदन है
कि मेरी पेंशनार्थि के निधारण - और भुगतान कर,
व्यवस्था भी अपने तंत्र से करवाने की पहली व
की जाय। बसने निधि में श्री मान का आगाही
रहूँगा।

ता 013/04/2010

विश्वास भाजद
लाल बाबू (1)
लेना गिरत (सहस्र)
जिला उपोद्देका फ

समाहरणालय मधेपुरा
[स्थापना शाखा]

91

35

पत्रांक 153-2/स्थापना
तपत्र

प्रेषक

जिला स्थापना उप समाहर्ता
मधेपुरा

स्वीकार

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता फोरम
मधेपुरा

मधेपुरा दिनांक 04.03.2013

विषय

ललित बर्काई, वेतनादि एवं सेवान्त लाभ
गुणाना के संबंध में।

संज्ञा

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में श्री लाल बर्काई
राय सेवानिर्त लिपिक, जिला उपभोक्ता फोरम मधेपुरा
का आवेदन तपत्र के साथ संलग्न करते हुए
कइना है कि श्री राय सेवानिर्त लिपिक का बर्काई
वेतनादि एवं सेवान्त लाभ का गुणाना यथासाध्य
करने की कृपा की जाय तथा कृपे करवाई से
जिले पदाधिकारी का भी आवेदन कराई जाय।

विश्वराम झा
4.3.13

जिला स्थापना उप समाहर्ता
मधेपुरा

04.03.2013
कार्यसूची अंतर्गत
मधेपुरा

प्रातिलिपि - डा. 153-2/स्थापना दिनांक 04.03.2013
श्री लाल बर्काई राय, सेवानिर्त लिपिक, जिला उपभोक्ता
फोरम मधेपुरा को सुवर्ण प्रेषित।

Handwritten signature and date at the bottom.

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

13

आदेश

2 दि./स्था. दि. (05) - 05/09

प्राथमिक कृषि राज्य समितियों (पैदाश) के सहकारिता प्रबन्धक/वेतनभोगी प्रबन्धकों द्वारा सरकारी सेवा में समायोजन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दि. 01.12.94 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2312/91 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.94 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका सिविल अपील संख्या 7157/94 द्वारा दिनांक 20.12.2000 दिनांक 20.08.99 को पारित आदेश के आशोक में सहकारिता विभाग के सहकारिता प्रबन्धकों के लिए विहार लोक सेवा आयोग द्वारा विशेष परीक्षा आयोजित करते हुए सफल उम्मीदवारों का राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

2. उपर्युक्त के आलाोक में विहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीन चरणों में विशेष परीक्षा आयोजित की गई एवं विशेष परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में लिपिक के पद पर की गई।

3. वित्त विभाग के पत्र संख्या 8825 नं. (2) दिनांक 20.12.2000 द्वारा समाहरणालय एवं अन्य मुफरिस्तल कार्यालयों के लिपिक सामान्य के पद कोटे पर गया, लिपिक (वेतनमान 4000-6000 रु.) को उच्च पत्र के निर्गत तिथि के प्रभाव से निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान 3050-4590 रु.) एवं उच्चवर्गीय लिपिक (वेतनमान 4000-6000 रु.) के पदों एवं वेतनमान में पृथक् कर दिया गया। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त पृथक्करण के प्रभावी तिथि अर्थात् दिनांक 20.12.2000 के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत लिपिक उक्त प्रभावी तिथि से निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान 4000-6000 रु.) के पद पर कार्यरत माने जाएंगे। तदनुसार पश्चात् निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान 3050-4590 रु.) में की गई, जबकि उक्त तिथि के पूर्व सफल सहकारिता प्रबन्धकों की नियुक्तियों लिपिक के पद पर वेतनमान 4000-6000 रु. में की गई थी एवं ऐसे लिपिक पृथक्करण के पश्चात् उच्चवर्गीय लिपिक (वेतनमान 4000-6000 रु.) में कार्यरत माने गए।

4. पृथक्करण की प्रभावी तिथि के पश्चात् निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त श्री गणेश सिंह एवं अन्य द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध अपनी नियुक्ति के वेतनमान 3050-4590 रु. से 4000-6000 रु. में उत्तरोत्तर किए जाने हेतु रिट याचिका सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 15417/04 दायर किया गया। इसी प्रकार राम नाथ सिंह, जो पटना समाहरणालय में नियुक्त किए गए, द्वारा समरूप मामला के लिए रिट याचिका सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 9791/04 दायर की गई।

उक्त दोनों याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 26.07.06 को आदेश पारित किया गया कि दिनांक 20.12.2000 के बाद भी नियुक्त चादीमणों को एक ही नियुक्ति प्रक्रिया का अंश मानते हुए इन्हें भी नियुक्ति की तिथि से ही उच्चवर्गीय लिपिक (वेतनमान 4000-6000 रु.) में नियुक्त एवं वेतनमान का लाभ दिया जाए। माननीय उच्च

11/11/2012

समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

-: आदेश:-

15

1. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-2312/91 में पारित आदेश दिनांक-01.12.1994 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सिविल अपील संख्या-7357/96 में पारित आदेश दिनांक-20.08.1998 के अनुपालन में सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-805, दिनांक-08.03.2011 द्वारा सहकारिता प्रबंधकों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्ग-3 के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था।

2. उक्त भाष्य निर्णय के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा विशेष परीक्षा आयोजित कर सफल उम्मीदवारों की सूची सहकारिता विभाग को भेजी गई।

3. निबंधन, सहयोग समितियों, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-1671, दिनांक-04.04.2002 एवं आयुक्त, कोशी प्रशासन सहरसा के पत्रांक-562/स्था०, दिनांक-12.06.2002 एवं 1052, दिनांक-23.12.2003 में निहित विदेश के आलोक में विभिन्न तिथियों में कुल 33 निम्न उम्मीदवारों की नियुक्ति निम्न वर्गीय लिपिक के वेतनमान 3050-4590 में की गई थी।

| क्र० | पत्रांक/दिनांक | नियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक का नाम |
|------|--------------------------|---|
| 1 | 311-2, दिनांक-24.07.2002 | 1. श्री मैथिली शरण पांडेय 2. श्री शिव मंगल सिंह |
| 2 | 312-2, दिनांक-30.07.2002 | 1. श्री रघुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव |
| 3 | 319-2, दिनांक-02.08.2002 | 1. श्री नन्दू बैत 2. श्री धनंजय दूबे 3. श्री गुलाब चन्द दास 4. श्री राम नारायण हाजरा 5. श्री छेदी लाल चौधरी 6. श्री चन्द्रभूषण मिश्र |
| 4 | 341-2, दिनांक-26.08.2002 | 1. श्री विजय शंकर दूबे 2. श्री चित्रसेन सिंह 3. श्री चन्द्रगा सिंह 4. श्री जगोन्द्र नारायण सिंह |

16

| | | |
|---|--------------------------|--|
| 5 | 364-2, दिनांक-02.09.2002 | 1. श्री शोभाकान्त झा 2. श्री गणेश नारायण खाँ |
| 6 | 203-1, दिनांक-04.09.2002 | 1. श्री उमेश कुमार |
| 7 | 490-2, दिनांक-22.11.2002 | 1. श्री तेज नारायण मेहता 2. श्री चन्द्रदेव राम 3. श्री शशिभूषण प्रसाद |
| 8 | 15-2, दिनांक-18.01.2003 | 1. श्री राज किशोर प्रसाद |
| 9 | 04-2, दिनांक-03.01.2004 | 1. श्री रामनंद मेहता 2. श्री भीखा राम 3. श्री महेन्द्र राम 4. श्री ब्रह्मदेव शर्मा 5. श्री महेन्द्र पंडित 6. श्री पुलकित ठाकुर 7. श्री महेन्द्र प्रसाद मेहता 8. श्री जवाहर प्रसाद यादव 9. श्री नंदकिशोर यादव 10. श्री चन्द्रिका प्रसाद 11. श्री विजय चन्द्र 12. श्री लाल बाबू राय |

4 इन बीच सरकार के प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आदेश न्नापांक-3814,

दिनांक-13.07.2010 से मार्गदर्शन/निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसका उद्धरण निम्न प्रकार है:-

5विधि विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुपालन में सहकारिता प्रबंधकों के लिए आयोजित विशेष परीक्षा में सफल वैसे उम्मीदवारों, जिनकी नियुक्ति पृथक्कीकरण की तिथि अर्थात् 20.12.2000 के पश्चात् निम्न वर्गीय लिपिक वेतनमान 3000-4500 में विभिन्न विभागों के अधीन की गई है, को उनकी नियुक्ति की तिथि से ही उच्च वर्गीय लिपिक वेतनमान 4000-6000 की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार संबंधितों को बकाया वेतनानि का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाय।"

(14)
न्यायालय, पटना के उक्त आदेश दिनांक 26.07.2008 को विरुद्ध सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल.पी.ए. संख्या 813/06 दायर किया गया, जिसे दिनांक 10.07.08 को पारित आदेशानुसार खारिज कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. संख्या 813/06 में दिनांक 10.07.08 को पारित आदेश को विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) संख्या सी.सी. 9650/2009 दायर किया गया, जिसे दिनांक 06.11.09 को खारिज कर दिया गया।


5. इसी प्रकार सगल मामले में लगभग 15 रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिनमें लगभग 08 याचिकाओं में गणेश सिंह एवं अन्य के मामले में पारित आदेश के अनुरूप कार्रवाई का आदेश पारित किया गया है। श्री नारायण सिंह के मामले में अवमाननावाद भी दायर हो चुका है।

6. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विधि विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुपालन में उपर्युक्त वर्णित सहकारिता प्रदन्धकों के लिए आदेशित विशेष परीक्षा में सफल वरं लगीदवार, जिनकी नियुक्ति पृथक्कीकरण की तिथि अर्थात् 23.12.2008 के पश्चात् निम्नदर्गीय लिपिक, वेतनमान 3050-4590 रु. में विभिन्न विभागों के अधीन की गई है, को उनकी नियुक्ति की तिथि से ही उच्चवर्गीय लिपिक, वेतनमान 4000-6000 रु. की रवीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार सम्बन्धितों के बकाया वेतनादि का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए।

ह./-
(अमिताभ वर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव।

दस्तावेज संख्या 3814 / पटना, दिनांक 13.07.10

प्रतिलिपि - सामान्य प्रशासन विभाग, विहार, पटना / वित्त विभाग, विहार, पटना / सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी / सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ / सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी / सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ / सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।